प्रेस नोट 17.09.20202

मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस 191 के अत्यंत नजदीकी, कोयला माफिया व अपराधिक गैंग आईआर– 09 के सदस्य व हिस्ट्रीशीटर राजेश उर्फ राजन सिंह की 35 लाख 23 हजार 600 रूपये की सम्पत्ति अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत मऊ पुलिस द्वारा जब्त–

जनपद मऊ पुलिस के द्वारा आपराधिक माफिया व उनके गुर्गों के विरुद्ध प्रचलित कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 17.09.2020 को मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस 191 के अत्यंत नजदीकी व मुख्तार अंसारी के साथ मन्ना सिंह हत्याकांड 2009 में गवाह राम सिंह मौर्या एवं सुरक्षा में लगे आरक्षी सतीश हत्या में सह अभियुक्त रहे त्रिदेव कंस्ट्रक्शन/त्रिदेव कोल डिपो/त्रिदेव ग्रुप के पूर्व मालिक कोयला माफिया राजेश सिंह उर्फ राजन सिंह पुत्र रामवृक्ष सिंह निवासी अहिलाद जनपद मऊ की लगभग 35 लाख 23 हजार 600 की अपराध व अवैध रूप से अर्जित धन से बनाई गई संपत्ति अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई है।

आज दिनांक 17.9.2020 को सीओ सीटी के नेतृत्व में थानाध्यक्ष सरायलखंसी, कोतवाली व दक्षिणटोला के द्वारा राजेश सिंह उर्फ राजन सिंह पुत्र रामवृक्ष सिंह के द्वारा अपराध से अवैध रूप से अर्जित किए गए ग्राम खरगजेपुर तहसील सदर में स्थित आ0सं0 917क में 5.5 एयर व आ0सं0 917घ में 38 एयर व आ0सं0 917ड. 11 एयर व 917ज में 22 एयर कुल 04 गाटा 76.5 एयर यानी 189 कड़ी यानि 766 वर्ग मीटर भूखंड को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त कराई गई।

इस प्रकार कुल लगभग 35 लाख 23 हजार 600_कीमत की प्रॉपर्टी जब्त कराई गई है।

राजेश सिंह उर्फ राजन सिंह त्रिदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी/त्रिदेव कोल डिपो/त्रिदेव ग्रुप का संचालन अपने भाई उमेश सिंह के साथ मिलकर करता रहा है। इसके द्वारा मुख्तार अंसारी व गिरोह की आर्थिक रूप से मदद पिछले दो दशकों से की जाती रही है।

वर्ष 2009 में हुये मन्ना सिंह हत्याकांड में गवाह **राम सिंह मौर्य व उनकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी आरक्षी सतीश की सन 2010 में ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई** जिस के संबंध में थाना दक्षिण टोला में एफआईआर नम्बर 399/2010 पंजीकृत किया गया। इस अभियोग में **राजन सिंह, मुख्तार अंसारी के साथ सह अभियुक्त था** इस हत्याकांड के संबंध में थाना दक्षिणटोला में मु0अ0सं0 891/2010 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट का अभियोग विरुद्ध मुख्तार अंसारी, राजन सिंह व अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध 2010 में दर्ज किया गया। इसके अलावा भी उमेश सिंह व राजन सिंह के विरुद्ध कुल 08 अभियोग पंजीकृत है।

पिछले दो दशकों के दौरान राजन सिंह व उमेश सिंह के द्वारा मुख्तार अंसारी व गिरोह के मुख्य शरणदाता व आर्थिक मददगार के रूप में अतिसक्रिय व अग्रणी भूमिका रही है। माफिया से सम्बन्धों का फायदा उठाकर इंदारा कोपागंज में कोल डिपो स्थापित कर मोनोपोली बनाते हुए कोयला माफिया के रूप में इन दोनों के द्वारा अर्जित धन से मुख्तार अंसारी गिरोह की फंडिंग लंबे समय से की जाने की भी बात प्रकाश में आई है।

यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त राजेश उर्फ राजन सिंह के भाई उमेश सिंह की अपराध व अवैध रुप से अर्जित लगभग 6.5 करोड़ रूपये की संपत्ति पूर्व में जब्त की जा चुकी है।

अपराधिक इतिहास राजेश उर्फ राजन सिंह–

1. मु0अ0सं0 91ए/97 धारा 504,507 भादवि थाना सरायलखंसी मऊ।
2. मु0अ0सं0 91ए/98 धारा 110जी सीआरपीसी थाना सरायलखंसी मऊ।
3. मु0अ0सं0 91ए/98 धारा 302,307,120बी,34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना सरायलखंसी मऊ।
4. मु0अ0सं0 399/10 धारा 147,148,149,302,307,120बी व 34 भादवि थाना सरायलखंसी मऊ।
5. मु0अ0सं0 891/10 धारा 3(1) गैं0 एक्ट थाना दक्षिणटोला मऊ।
6. मु0अ0सं0 20/14 धारा 147,148,149,302,307,506,120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना तरवां आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 50/17 धारा 110जी सीआरपीसी थाना सरायलखंसी मऊ।
8. मु0अ0सं 360/17 धारा 504,507 भादवि थाना सरायलखंसी मऊ।

08 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 17.09.20 को थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान लसरा से मु0अ0सं0 368/20 धारा 34,323,504,506,336,354क में वांछित अभियुक्तगण मूकेश गुप्ता उर्फ रामप्यारे गुप्ता, मूरत गुप्ता पुत्र रामलाल, गोलू पुत्र मूरत गुप्ता, गिरधारी पुत्र रामलाल, चन्दन पुत्र शिवनाथ, सोनू पुत्र

गिरधारी, पहाड़ी उर्फ अमन पुत्र राजेन्द्र, मन्टु पुत्र हरेन्द्र गुप्ता निवासी लसरा थाना हलधरपुर मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

30 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद, 02 गिरफ्तार–

आज दिनांक 17.09.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा प्रभावती देवी पत्नी परशुराम, परशुराम पुत्र सुखदेव निवासी निवासी परशुरामपुर थाना मधुबन मऊ के कब्जे से क्रमशः 20–10 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 30 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 17.09.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान शांति भंग की आशंका में थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा कृष्णा, उग्रसेन निवासीगण मेउड़ी, सोनू, कृष्णा, विपिन, नन्दलाल, नागेन्द्र, रमेश, सूरज निवासीगण नवलपुर रतोही थाना हलधरपुर, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा राहुल सोनकर, मानिकचन्द्र निवासीगण दक्षिणटोला रहजनिया, एवरार, सोनू निवासीगण निजामुद्दीनपुर, रितेश कुमार निवासी भीटी थाना कोतवाली, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा ओमप्रकाश, रविन्द्र निवासीगण मीरपुर, विपिन शर्मा निवासी कटधराशंकर, वकील, मो0 असलम, नौसाद निवासीगण दुबारी थाना मधुबन, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा रामप्रवेश, श्यामधारी निवासीगण देवकली देवलाश, आरिफ, फिरोज निवासीगण करहा थाना मुहम्मदाबाद, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा लालबहादुर, सम्भू, विजय प्रताप निवासी फतेहपुर थाना रानीपुर, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा विद्या देवी, सोनी निवासीगण लोहटिकट, सुरेन्द्र निवासी आदेडिह थाना सरायलखंसी मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

सेवानिवृत्त डाक्टर के साथ हुऐ, 50000 हजार रूपये का आनलाइन फ्राड की धनराषि साइबर सेल टीम द्वारा कराया गया वापस–

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ के समक्ष दिनांक 13.09.2020 को आवेदक रामादर्ष राम (से0नि0व0चि0अ0) निवासी हरिद्वार कालोनी भीटी थाना कोतवाली जनपद मऊ ने अपने साथ हुये आनलाईन फ्राड के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया। जिसपर महोदय के निर्देशानुसार चलाये जा रहे ,साइबर अपराध पर नियंत्रण के क्रम में जिसकी जाँच प्रभारी साइबर द्वारा किया गया तो पाया गया की आवेदक के मोबाइल पर दिनांक 12.09. 2020 को सायं 04:00 बजे फेक नम्बर से काल आया की मै आपके ब्रांच का मैनेजर बोल रहा हुँ, आप का बचत खाता जो बैंक आफ बड़ौदा में वह केवाईसी अपडेट न हो के कारण बन्द कर दिया जायेगा, जिसकी बातों/भ्रम में आकर आवेदक द्वारा खाते से लिंक मोबाइल नम्बर पर आये हुये ओटीपी को फ्राडर को बता दिया जिस कारण आवेदक के खाते से एक बार में ही 50000 रूपये का फ्राड हो गया था। फ्राड धनराषि पेयू के माध्यम से डिजिटल गोल्ड इन्डिया प्रावटेट लिमिटेड द्वारा 9.1197 ग्राम सोना खरीदा गया था। साइबर सेल टीम द्वारा मामले को गंभीरता से त्वरित जांच/कार्यवाही करते हुये आवेदक के बचत खाते में कुल रुपया 50000 फ्राड धनराषि को वापस कराया गया। इस पर आवेदक द्वारा एसपी महोदय को धन्यवाद दिया।

बरामदकर्ता टीमः–

निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार चौधरी (प्रभारी साइबर सेल), आरक्षी शैलेन्द्र कुमार कन्नौजिया , आरक्षी अंकुर यादव, महिला आरक्षी सरोज यादव, महिला आरक्षी वंदना पाण्डेय।